Registration of Ram Janam Bhoomi Nyas under foreign contribution (Regulation Act

3322. SHRI KAILASH NARAIN SARANG: Will the Minister of HOME

AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Ram Janma Bhoomi Nyas had applied for registration under the Foreign Contribution (Regulation) Act. 1976. if so, when:

(b) whether permission for registration has been granted; if so, when; and

(c) if not, reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SUBODH KANT SAHAY):

(a) Yes. Sir, on 1-9-89.

(b) No. Sir.

(c) The proposed site of construction of Ram Mandir, being in dispute and the matter being sub judice, it was considered that grant of permission would not be appropriate.

National Highways Trust to monitor use of funds for National Highway

3323. SHRI MENTAY PADMANA

BHAM: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that most of the State Governments are diverting funds ear-marked for the development and maintenance of National Highways;

(b) if so, the names of such errant

(b) if so, the names of such errant States;

(c) whether there is a proposal to form a National Highway Trust; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI K. P. UNIKRISHNAN); (a) No. Sir.

- (b) Does not arise.(c) No, Sir.
- (d) Does not arise.

श्री लंका, ्यूदा, ऋौर फ्रिजी से भ्राये शरणार्थी

3324. श्री राम नरेश यादव: नया गृह मंत्री यह बत न की क्रमा करेगे कि जनवरी, 1990 से जुलाई, 1990 फेबीच श्री लंका क्यूबर। श्रीर फिजी से भारत श्र ये शरणाश्रियों की ग्रमन-अलग संस्था श्रीर

उनका ब्योर क्या हे और इन शरणाधियों की सुरक्षा तथा पुनर्वास के लिए सरकार इंग्रेस अब तक क्या कदक उठारे गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य संब्री (श्री सुबोध कान्त सहाय): ानवरी, 1990 से जुलाई, 1990 तक श्रीलंका में 50, 701 शरणार्थी भारत में ग्रु ये। जिन शर-णार्थियों ने सरकार में कहा। उन्हें तिमल-

न डु ग्रीर उड़ीसः में स्थायी शिविरों

श्रीर अस्थाई गरणायीं हों/र हत केन्द्रों में रखा गया है। शिविशों में इन गरणार्थियों को नकद, भोजन कपड़ा, शरण, चिकित्स। सह यता हैं इत्य दि उसी र हत सुविधार्ये दी जः यही हैं। क्योंकि श्रीलंकः

से हुआए जरणार्थी भारतीय नोगरिक नहीं हैं और कुछ हुसमय बन्द उन्हें श्रीलंका व पिस भेजा हैं जाना अपे कित है इसलिए भारत में उनके गुनर्शस के लिए उपाय

करना अपेक्षित र्ने नहें । जनवरी, 1990 जुलाई, 1990 के बीच व्यवा से कोई शरणार्थी भारत र्ने नहें अग्या । जनवरी, 1990 से जुलाई, 1990 की अवधि के मध्य किजी के राष्ट्रिकों से "शरणार्थी/ प्रवासी कूदणी" देने के लिए बोई अन्वेदन पत्न प्राप्त नहीं हुआ। है!

Exemption of Telecommunication Department from the Purview of the consumer protection Act

3325. DR. ABRAR AHMED KHAN: KUMARI SAYEEDA KHAN

TUN:

SHRIMATI SATYA BAHIN:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government are considering to exempt the Telecommunication